(गोरख पांडेय की कविता)

ख़बरदार

ख़बरदार, ख़तरा है
यहां उसे वही कहना जो वह है।

आओ
बग़ैर शर्मिंदा हुए इस महानाटक में
शामिल हो जाएं
औरा अलग–अलग दुकानों पर बिक रहे
इस सर्वव्यापी झूठ को सच्चाई के साथ दुहराएं
सफ़ेद को स्याह करें, कहें
भुखमरी को भ्रूण–हत्या से कतराती नाजायज़ भीड़ की
पैदावर
महान और गुलाम देश को
पचाती हुई सड़ियल तोंद
तोंद नहीं समाजवाद है

वे अहिंसक कहे जाएं
जो पराए कंधों पर रख कर बंदूक चलाते हैं
जुलूसों के निहत्थे गुस्से पर
बारूद और नारों की बारिश करते हुए
दिल्ली की ओर उड़ जाते हैं
जाहिर है कि यह बाज़ार है
योजनाबद्ध बसा हुआ काला बाज़ार
यहां नमक से ले कर आदमकद आदमी तक बिकाऊ है
कहें इसे लोकतंत्र ज़ोर देकर
महात्मा के बंदरों ने सिखाया है –
बंद रक्खें आंखें
उंगलियां डाल लें कानों में
होंठ सी लें

डरावनी हो चली हैं चीखें, ख़बरें, आवाजें,
बचे रहने के लिए सुअरों की तरह
उलट लें अपनी–अपनी जुबान
चुपचाप
चुपचाप हो जाएं
सो जाएं
आराम और शिकस्त ओढ़ कर
अल्लाहो–ईश्वर की चीख से खाली पेट भरें
एक–दूसरे का गला घोंट धर्म करें
अथवा उनकी आत्मा की शांति के लिए
उपाधियां बांटें–
तरतीब से आदमखोर को अन्नदाता
घड़ियाल को नेता
भेड़िए को समझदार
अंधे कुएं को बहती नदी
ईमान को बेवकूफी
धोखे को प्यार

ख़बरदार, ख़तरा है
यहां उसे वही कहना
जो वह है।

पेज 1 का शेष भाग

सिपाही रणधीर को डयूटी करने की सज़ा मिली उम्रकैद

इस बीच बल्लभगढ़–फ़रीदाबाद से भारी पुलिसबल ने मौके पर पहुंचकर उन्हें वहाँ से निकाला। उस वक्त तक पुलिसबल को यूसुफ की मौत का पता नहीं था।

पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर आधारित भा.द.सं. की धारा 353, 332, 148, 149 आदि के तहत थाना सदर बल्लभगढ़ में यूसुफ, कालू, रमजान व 15 अन्य के विरुद्ध नामज़द तथा पचासों अन्य के विरुद्ध मुकदमा नं. 223/98 दर्ज कर दिया। उधर यूसुफ की मौत को लेकर उसके परिजनों ने ऐसा हंगामा मचाया कि जिलाधीश बीके पाणीग्रही को मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देने पड़े। वह जांच तत्कालीन डीडीपीओ सुरजेवाला द्वारा संपन्न की गई। उन्होंने अपनी जांच के दौरान कुशक बड़ौली के उस चश्मदीद गवाह को खोज निकाला जो उस रात वहाँ मौके पर मौजूद था। वास्तव में वह गवाह कुछ घंटे पहले हुई लूट की वारदात का शिकार बना था और उसी की सूचना पर एसएचओ वहाँ मौका ए वारदात पर पहुंचा था। उसने जांच अधिकारी को बताया कि किस तरह से फ़िल्मी स्टाइल से गाड़ियाँ दौड़ती हुई आई थीं और एक दूसरे के आगे पीछे फायरिंग करती हुई भाग रही थीं। इसी गवाह के आधार पर डीडीपीओ ने एसएचओ द्वारा यूसुफ से पैसे मांगने तथा न देने पर गोली मारने वाली कहानी को झुठला दिया था। हाँ, जाँच रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि गोली टायर में मारनी चाहिए थे न कि यूसुफ को। करीब 350 पेज की रिपोर्ट आज भी सुरक्षित रखी है। लेकिन कोर्ट में डीडीपीओ की गवाही कभी नहीं हुई। उधर पुलिस ने यूसुफ की मौत का पता लगने पर एसएचओ सतयनारायण, सिपाही रणधीर व अन्य के विरुद्ध इसी एफआईआर में धारा 304ए लगा दी। एसएचओ ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत करा ली और सिपाही को गिरफ्तार कर बाद में जमानत दे दी गई। मुकदमे के दौरान एसएचओ सतनारायण की मृत्यु हो गई, एक अन्य को डिसचार्ज कर दिया गया लेकिन सिपाही रणधीर को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहरा कर दिनांक 30.10.12 को उम्रकैद की सज़ा दे दी गई। कोर्ट ने शायद पुलिस व जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बजाय मृतक के परिजनों की बात को ज्यादा सही माना।

सारे घटनाक्रम को देखते व समझते हुए प्रश्न यह पैदा होता है कि धारा 302 कैसे लग सकती है ? सिपाही रणधीर मरने वाले को जानता, नहीं पहचानता नहीं, उसका कोई इरादा कत्ल नहीं। दूसरे जब किसी भी सिपाही को उसका अफ़सर आदेश देता है तो क्या वह उसे मानने से मना कर सकता है ? यदि इस तरह से डयूटी करने व अफ़सर का आदेश मानने पर सजाएं होने लगेंगी तो फ़िर कोई भी किसी अफ़सर का आदेश क्यों मानेगा ?

इससे भी अधिक बुरी बात यह हुई कि इस 14 वर्ष के दौरान रणधीर से नौकरी तो सरकार ने पूरी करवाई लेकिन पदोन्नति तो दूर वार्षिक वेतनवृद्धि तक नहीं दी, जबकि एसएचओ सतनारायण उप निरीक्षक से निरीक्षक बनकर सेवानिवृत्त होकर चला गया। पुलिस रूल के मुताबिक डयूटी करते समय इस तरह का यदि कोई मामला बन जाता है तो विभाग को उसकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए थी जबकि इस सिपाही को कोई विभागीय सहायता भी नहीं मिली। अब आगे का मुकदमा हाईकोर्ट में लड़ने के लि उसके साथी चंदा एकत्र करने में जुटे हैं। विदित है कि हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए लाखों रुपए चाहिए।

निगम ने 88 करोड़ की ज़मीन बेच खाई

कायदें से नगर निगम का अपना प्रस्थापना खर्च कुल आमदनी (टैक्स वसूली) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। विदित है कि निगम की कुल टैक्स उगाही का एक बड़ा हिस्सा सरकार के दूसरे विभाग एकत्र करके इसे चेक काट कर दे देते हैं। यह रकम शहर में खपने वाली बिजली की हरेक यूनिट, शराब की हरेक बोतल, तहसील में होने वाली प्रत्येक रजिस्ट्री तथा प्रत्येक वाहन के होने वाले पंजीकरण से प्राप्त होती है। इसमें नगर निगम के अफ़सर कोई भी घोटाला करने में असमर्थ हैं। शेष जो टैक्स निगम स्वंय वसूलता है उनमें घोटाला ही घोटाला है। एक चौथाई की वसूली तीन चौथाई जेब में। अफ़सरों की भारी भरकम फ़ौज दीमक की तरह शहर को चाट रही है। सौ से अधिक तो यहां इन्जीनियर भर्ती कर रखे हैं जबकि काम केवल 10–20 ही करते हैं, शेष काम के अवसर तलाशने में लगे रहते हैं। लूट के अवसर बढाने के लिये आये साल अफ़सरों की पद संख्या बढती रहती है। पहले एक एस ई का पद बनाया, फ़िर दो बनाये तो उन पर एक चीफ़ भी बना दिया। अब रिटायर होने के बाद उस चीफ़ का घर जाने को बिल्कुल मन नहीं करता। करे भी कैसे, घर बैठ कर किसे लूटेगा ? एक वही क्या, लूट की तैनाती छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं होता। पिछले दिनों एक वित्त नियन्त्रक था जो रिटायरमेंट के बाद ए.सी. चौधरी की कृपा से 3 साल तक अपनी सीट पर बैठ कर लूटता रहा।

दरअसल नगर निगम उस मटके के समान हो गया है जिसके पेंदे में इतना बड़ा छेद है कि पानी ठहरता ही नहीं। ठीक उसी तरह इसमें जितना मर्जी पैसा आ जाये तो भी इसका खजाना खाली ही रहता है। पिछले दिनों इसे 100 करोड़ रुपये गुड़गांव नगर निगम से दिलाये थे, जिनका पता ही न चला कहां गये। इसी तरह अब आने वाले 88 करोड़ भी उसी में समा जायेंगे। इसके बाद फ़िर कुछ और ज़मीन बेच कर निगम का पेट पालने का प्रयास किया जायेगा। निगम का पैसा जाता कहां है और इसे अफ़सर कैसे डकारते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। ओल्ड फ़रीदाबाद के चौक से रेलवे फाटक को जाने वाली करीब 200 मीटर लम्बी सड़क पिछले करीब 15–20 साल से गायब है। सड़क ही नहीं उस पर लगे स्ट्रीट लाइट के 15 खंबे भी गायब हैं। इस बाबत आर टी आई एक्ट के द्वारा पूछने पर 4 माह बाद जवाब आया और वह भी तब जब निगमायुक्त को अपील की गयी। जवाब में अधिकारी लिखते हैं कि सड़क निर्माण 1994–95 में हुआ था, लेकिन इस पर कितना धन खर्च हुआ कुछ पता नहीं क्योंकि उसका कोई रिकार्ड नहीं है। हां 1994–95 में इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने पर एक लाख दो हजार 778 रुपया खर्च हुए थे। आज उस स्ट्रीट लाइट के खंबे कहां गये कोई पता नहीं। उनकी कोई एफ आई आर भी दर्ज नहीं है। जाहिर है अफ़सरों ने ही बेच खाये। उपलब्ध रिकार्ड के मुताबिक इस सड़क की मुरम्मत व रख रखाव पर वर्ष 1999 2007 और 2009 में कुल 25 लाख रुपया खर्च किये गये हैं। इसके विपरीत हकीकत यह है कि गत 15 वर्षों से वहां सड़क होने का कोई निशान बाकी नहीं है। जाहिर है उक्त सारी रकम सम्बन्धित अफ़सर डकार गये। अपील के दौरान निगमायुक्त डी. सुरेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितना रिकार्ड उपलब्ध होगा उतना ही जवाब दिया जायेगा। मामला बिल्कुल साफ़ हो गया। निगम का माल हड़पों और रिकार्ड गायब कर दो। यदि इस तरह की लूट में निगमायुक्तों की अपनी हिस्सेदारी न होती तो वह पूछ लेता कि रिकार्ड गायब कैसे हो गया और जो सड़क 15 साल से है ही नहीं उस पर 25 लाख कैसे खर्च हो गये ? यह मामला तो हांडी में पक रहे चावलों में से एक दाने के समान है। हांडी रूपी इस नगर निगम में शेष क्या हो रहा है वह इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है।

पिकनिक पर आने वाले नेताओं के लिये डाक्टरों की 6 टीमें

देश का भारी भरकम बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाये नेताओं के इस गिरोह में से कोई बिमार हो कर मर न जाये, इस के लिये डाक्टरों की 6 टीमें बनाई गयी थीं। एक एम्बूलेंस गाड़ी के साथ 3 डाक्टर, एक फ़ार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन व एक अन्य कर्मचारी के अलावा एम्बूलेंस ड्राइवर तो होता ही है। इस हिसाब से कुल 18 डाक्टर, 6 फ़ार्मासिस्ट, 6 लैब टैक्नीशियन व अन्य कर्मचारी तैनात हो गये। ये सभी टीमें 8 तारीख के बाद दोपहर तैनात करने के बाद इनकी रिहर्सल करवाई गयी कि कौन सी टीम कहां और कैसे तैनात होगी। इन सभी टीमों में साधारण डाक्टर न हो कर विशेषज्ञ डाक्टर रखे गये थे। कुल 6 टीमों में से 3 टीम तो अकेले बी.के. अस्पताल से एक टीम 3 नम्बर के उस ई एस आई अस्पताल से बनाई गयी जहां 100 डाक्टर की जगह मात्र 15 डाक्टर ही रह गये हैं, उनमें से भी 3 डाक्टर निकालते हुए इस बेरहम सरकार को कोई शर्म नहीं आई। शेष दो टीमें पलवल, गुड़गांव व मेवात आदि से बना कर लागाई गयी। जाहिर है पहले से ही विशेषज्ञ डाक्टरों की भयंकर कमी झेल रहे अस्पतालों से दो दिन के लिये इन डाक्टरों को भी निकाल लेने से उन ग़रीब मरीज़ों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि नेताओं का यह गिरोह कितना स्वार्थी है, अपनी खुद की तो बीमारी की आशंका भर से निपटने के लिये कुल 60 जनों के लिये 18 डाक्टर चाहिये और ई एस आई के 200 बिस्तर वाले अस्पताल के लिये मात्र 17 ही डाक्टर तैनात हैं। पूरे शहर की 20 लाख आबादी के लिये बने अस्पताल में भी 150 की जगह मात्र 65 डाक्टर ही तैनात हैं। डाक्टरों की इतनी कमी होने के बावजूद भी अपनी खुद की संभावित देख भाल के लिये इतने सारे डाक्टरों को इन्होंने जनता से छीन लिया। इतना ही नहीं एक निजी अस्पताल में 10 बेड का एक वार्ड भी इन लोगों के लिये रिज़र्व रखा गया था।

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे। कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।